सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 30, गुरूवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 21, 2023 *Agrahayana 30 Thursday , Saka 1945- December 21 , 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भूमि अवाप्ति उपखण्ड अधिकारी खण्डार सवाईमाधोपुर

(धारा-19 अन्तर्गत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियिम , 2013 के अन्तर्गत घोषणा एवं सार नियम के उपनियम-(1) देखे घोषणा)

अधिसूचना

सवाईमाधोपुर, दिसम्बर 08, 2023

संख्या एफ 2(19)/सानि/एएस/अनु.2/2022-23/डी :-राजस्थान सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची की संबंध सारणी में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिऐ ग्राम सेवतीखुर्द तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर में चम्बल नदी कोटा/सवाईमाधोपुर पर किमी 20/500 से 23/148 खातौली कैथुदा दौलतपुरा एमडीआर 51 पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य के दौरान भूमि अवाप्ति के लिऐ अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 7(83)/A&F/Sec-II/2020-21/D-55 दिनांक 3.5.2021 द्वारा भूमि अवाप्ति एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग की स्वीकृति जारी हो चुकी है। परियोजना सड़क के लिऐ आवश्यकता है।

अतः एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि मानक माप के अनुसार 1.1372 हैक्टेयर भूमि के खण्डों का उपरोक्त परियोजन के लिऐ ग्राम सेवती खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर भूमि का सार्वजनिक प्ररियोजनार्थ अधिग्रहण किया जाना है। जिसका विस्तृत विवरण निम्न सूची के अनुसार है।

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
सवाईमाधोपुर	खण्डार	सेवती खुर्द	3	1. 1372

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। बाद जॉच उनके निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरान्त की गई है।

कोयला, लौहा , पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खदानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है। ऐसे भोगों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जायेगा, ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि अवाप्ति सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भूमि अवाप्ति उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रभावित क्षेत्र का विवरण
ग्रामः-सेवती खुर्द तहसील :-खण्डार जिलाः-सवाईमाधोपुर

क्र. सं.	खसरा संख्या	सम्पूर्ण क्षेत्रफल (है0 में)	शीर्षक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अधिग्रहण क्षेत्र (हेक्टेयर)	व्यक्ति का नाम और पता	सीमाओं का विवरण				वृक्षों का विवरण		संरचनाओं का विवरण	
							उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	185	3.0200	निजी	बारानी द्वितीय	0.1930	आशाराम पुत्र केदार हि.1/2 जाति मीना सा.धर्मपुरी चतरू पत्नि भूदरा जाति भील ग्राम तृतीया भीलबस्ती बछवाल चौहाटन जिला बाड़मेर हि.1/2 खातेदार	121	183	184	197				
2	503/183	5.0000	निजी	बारानी तृतीय	0.9269	रेवडया छोटूलाल रामविलास पि.छीतरया द्वारिका हँसा पुत्रीयान छीतरया कोम हरिजन सा.देह गैर खातेदार	121	183	184	197	नीम	10		
3	215/1	0.1600	निजी	बारानी द्वितीय	0.0173	शम्भु पुत्र काना कौम गुर्जर सा.देह खातेदार	214	288	216	213				

भूमि अधिग्रहण रिपोर्ट धारा-11 (1) की अधिग्रहण एवं मुआवजा आदेश पारदर्शिता अधिकार अधिनियम व राजस्थान सरकार का राजस्थान राज पत्र विशेषांक सितम्बर 18, 2023 के अनुसरण में भूमि अधिग्रहण रिपोर्ट धारा-19(1) तैयार की गई है।

संयुक्त सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.2(32)सानि/एएस/2022-23/डी 3357 दिनांक 16.01.2023 के द्वारा धारा 4(1) जारी की जा चुकी है।

संयुक्त सचिव (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ 2(32)/**PW/AAS/2022-23/D-397** दिनांक 16.5.2023 के द्वारा धारा 7 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण मूल्यांकन हेतु बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया। समूह के गठन के उपरान्त अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड इटावा के पत्रांक 370 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा मिटिंग आयोजित की जा चुकी है।

संयुक्त सचिव(पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक दिनांक 18.09. 2023 के द्वारा धारा 11(1) जारी की जा चुकी है। जिसका प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति चम्बल नदी हाई लेवल ब्रिज एवं उपखण्ड अधिकारी खण्डार जिला सवाईमाधोपुर कार्यालय में और कार्य दिवस के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर भूमि की एक योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

धारा 19 मुताबिक आदेश प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ7/एमडीआर 51/अवाप्ति/2022/226 दिनांक 11.10.2023 के द्वारा धारा 19 की कार्यवाही की जा रही है।

अधिग्रहण की आपतियों यदि कोई हो तो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस दिनों) के भीतर इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है।

बी.एल.मीना,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।